UPSP010143362024

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–10/विशेष न्यायाधीश (औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम), सहारनपुर।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या– 673/2025

उ०प्र० राज्य द्वारा औषधि निरीक्षक बनाम अकरम।

थाना – चिलकाना, सहारनपुर।

10.07.2026

पत्रावली पुकार पर पेश हुई। विद्वान विशेष लोक अभियोजन अधिकारी उपस्थित आये।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत परिवाद उत्तर–प्रदेश राज्य द्वारा औषधि निरीक्षक श्री आशुतोष कुमार चौबे की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें न्यायालय ने दिनांक 19.12.2024 को दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–673/2025 के रूप में दर्ज रजिस्टर किये जाने का आदेश पारित किया है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत परिवाद में घटना दिनांक 14.12.2023 की दर्शायी गयी है तथा परिवाद दिनांक 19.12.2024 को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत परिवाद अंतर्गत धारा–18(a)(ii), 18(c), 18A, 18B, 22(3), 24, 26A, Punishable U/s– 27A(i), 28, 22(3), 28A, 28B औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

औषधि व प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा– **36AB** प्रावधान करती है कि– (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से अपमिश्रित ओषधियों या नकली ओषधियों से संबंधित और धारा 13 के खंड (क) और खंड (ख), धारा 22 की उपधारा (3), धारा 27 के खंड (क) और खंड (ग), धारा 28, धारा 28क, धारा 28ख और धारा 30 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन दंडनीय अपराधों और अपमिश्रित ओषधियों या नकली ओषधियों से संबंधित अन्य अपराधों के विचारण के लिए, अधिसूचना द्वारा एक या एक से अधिक सेशन न्यायालयों को ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों या ऐसे मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए विशेष न्यायालय या विशेष न्यायालयों के रूप में अभिहित करेगी, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा में, "उच्च न्यायालय" से उस राज्य का उच्च न्यायालय अभिप्रेत है, जिसमें विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित सेशन न्यायालय ऐसे अभिहित किए जाने के ठीक पहले कार्य कर रहा था।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय, विशेष न्यायालय उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराध से भिन्न ऐसे किसी अपराध का विचारण भी करेगा, जिससे अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जाए।

जिससे स्पष्ट है कि धारा– 36AB औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम–1940 में उल्लिखित धारा के अंतर्गत आने वाले परिवादों का विचारण करने का अधिकार विशेष न्यायालय को प्रदान किया गया है।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (उ०प्र०) की ओर से निर्गत पत्रांक संख्या– ड्रग/*8101 टी०सी०/2591 दिनांकित 24.09.2021* निम्नवत है –

प्रेषक, ई–मेल द्वारा

आयुक्त,
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0,
सेक्टर–सी, अलीगंज, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त सहायक आयुक्त (औषधि)/औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय)
कार्यालय मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त औषधि निरीक्षक
कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

सं0: ड्रग/8101 टीसी/2591 लखनऊ दिनांक 24/09/2021

विषय : औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन वाद योजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 32 के अंतर्गत उक्त अधिनियम के अधीन कारित अपराधों का संज्ञान लेने एवं विचारण किये जाने की व्यवस्था निम्नानुसार प्राविधानित है–

धारा–32

Cognizance of offence.—

(1) No prosecution under this Chapter shall be instituted except by-
(a) an Inspector, or
(b) any gazetted Officer of the Central Government or a State Government authorized in writing in this behalf by the Central Government or a State Government by a general or special order made in this behalf by that Government; or
(c) the person aggrieved; or
(d) a recognised consumer association whether such person is a member of that association or not.
(2) Save as otherwise provided in this Act, no court inferior to that of a Court of Sessions shall try an offence punishable under this Chapter.
(3) Nothing contained in this Chapter shall be deemed to prevent any person from being prosecuted under any other law for any act or omission which constitutes an offence against this Chapter.

उल्लेखनीय है कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 36–एबी के अंतर्गत कतिपय श्रेणी के अपराध जैसे– अपमिश्रित व नकली औषधि से सम्बन्धित अपराधों का विचारण करने के लिए प्रत्येक जनपद में सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किये गये है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा–32 एवं 36–एबी के परिशीलन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत कारित समस्त अपराध सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हैं।

दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 193 में अपराधों का सेशन न्यायालयों द्वारा संज्ञान लिये जाने के संबंध में निम्न व्यवस्था प्राविधानित है–

"अपराधों का सेशन न्यायालयों द्वारा संज्ञान– इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, कोई सेशन न्यायालय आरम्भिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक मामला इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा उसके सुपुर्द नहीं कर दिया गया है।"

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन कारित समस्त अपराधों से सम्बन्धित प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा विनिर्दिष्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकरण को सुपुर्द करने के उपरान्त सत्र न्यायालय द्वारा विचारण किया जायेगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन कारित अपराधों से सम्बन्धित परिवाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा विनिर्दिष्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जाये तथा प्रभावी पैरवी करते हुए सत्र न्यायालय के सुपुर्द कराकर प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीया

(अनीता सिंह)
आयुक्त

पत्रांकः ड्रग/8101 टीसी/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि–औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनीता सिंह)
आयुक्त

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **UNION OF INDIA Vs ASHOK KUMAR SHARMA AND OTHERS CRIMINAL APPEAL NO.200 OF 2020 (@ S.L.P. (CRIMINAL)No.4178 of 2019)** में **पैरा 40** में मत व्यक्त किया गया है कि–

> 40. Section 32 of the Act undoubtedly provides for taking cognizance of the offence by the court only at the instance of the four categories mentioned therein. They are: (a) Inspector under the Act; (b) Any Gazetted Officer empowered by the Central or the State Government; (c) Aggrieved person; and (d) Voluntary Association. It is clear that the Legislature has not included the Police Officer as a person who can move the court. Before the matter reaches the court, under Section 190 of the CrPC, ordinarily starting with the lodging of the first information report leading to the registration of the first information report, investigation is carried out culminating in a report under Section 173. The Police Report, in fact, is the Report submitted under Section 173 of the CrPC to the court. Under Section 190 of the CrPC, the court may take cognizance on the basis of the police report. Such a procedure is alien to Section 32 of the Act. In other words, it is not open to the Police Officer to submit a report under Section 173 of the CrPC in regard to an offence under Chapter IV of the Act under Section 32. In regard to offences contemplated under Section 32(3), the Police Officer may have power as per the concerned provisions. Being a special enactment, the manner of dealing with the offences under the Act, would be governed by the provisions of the Act. It is to be noted that Section 32 declares that no court inferior to the Court of Sessions shall try offence punishable under Chapter IV. We have noticed that under Section 193 of the CrPC, no Court of Sessions can take cognizance of any offence as a Court of Original Jurisdiction unless the case has been committed to it by a Magistrate under the CrPC. This is, undoubtedly, subject to the law providing expressly that that Court of Sessions may take cognizance of any offence as the Court of Original Jurisdiction. There is no provision in the Act which expressly authorises the special court which is the Court of Sessions to take cognizance of the offence under Chapter IV. This means that the provisions of Chapters XV and XVI of the CrPC must be followed in regard to even offences falling under Chapter IV of the Act. Starting with Section 200 of the Act dealing with taking of cognizance by a Magistrate on a complaint, including examination of the witnesses produced by the complainant, the dismissal of an unworthy complaint under Section 203 and following the procedure under Section 202

in the case of postponement of issue of process are all steps to be followed. It is true that when the complaint under Section 32 is filed either by the Inspector or by the Authorised Gazetted Officer being public servants under Section 200, the Magistrate is exempted from examining the complainant and witnesses.

माननीय उच्चतम न्यायालय की उक्त निर्णय विधि–व्यवस्था तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (उ०प्र०) की ओर से निर्गत पत्रांक संख्या–ड्रग/*8101 टी०सी०/2591 दिनांकित 24.09.2021* में दिये गये प्रावधानों के अनुसार परिवाद पर विशेष न्यायालय, आरम्भिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा, जब तक मामला मजिस्ट्रेट द्वारा उसके सुपुर्द नहीं कर दिया जाता है। परिवादी की ओर से परिवाद सीधे विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। चूँकि प्रस्तुत परिवाद उक्त निर्गत पत्रांक संख्या–ड्रग/*8101 टी०सी०/2591 दिनांकित 24.09.2021* तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय विधि–व्यवस्था में पारित आदेश के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद, सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु नियमानुसार वापस किया जाता है। परिवादी विधिनुसार सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करे। तद्नुसार दाण्डिक प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद की पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(संजय कुमार–V)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–10/विशेष न्यायाधीश,
(औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम)
सहारनपुर।
JO Code– UP1773

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.07.13 15:51:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court